प्रकरण कमांक /2016 निगरानी निग-1852-PBR-16

रामचन्द्र पिता रामसुख, जाति धाकड़
निवासी–गोपालमार्ग, बड़नगर रोड़ खाचरौद
——— आवेदक

श्री दिनेश व्यास अभि० द्वारा उज्जैन कैम्प पर 31-5-16 को प्रस्तुत।
31-5-16

31.5.16

——विरूद्ध——

1– राजेश पिता भैरूलालजी धाकड़,
2– प्रकाशचन्द्र पितामोहनलालजी धाकड़
3– शान्तिबाई पिता रामसुख, जाति धाकड़
समस्त निवासीगण–गोपालमार्ग, बड़नगर रोड़ खाचरौद
———अनावेदकगण

पुनर्निरिक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, खाचरौद के प्रकरण क्रमांक 30/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 30/03/16 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणो के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत करता है

रामचन्द्र / राजेश, आदि

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

R-1852-PBR/16 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी पीबीआर / 16 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–6–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30–3–2016 की सत्यप्रतिलिप का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है कि व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन नहीं है, इसलिए प्रकरण में कार्यवाही रोके जाने का कोई औचित्य नहीं है । व्यवहार न्यायालय के आदेश के पश्चात उसका पालन कराया जा सकता है, इस प्रकरण में कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है । अत: उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय द्वारा उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही नहीं रोकने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।	

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष